1772

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

अमन चौधरी से पहले, जे.

सुनील याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य उत्तरदाता 2022 का सी. आर. एम.-एम. सं. 50852

11 नवंबर, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-Ss.439,482-शस्त्र अधिनियम, 1959-Ss.25,54,59-याचिकाकर्ता ने गलत तारीख नोट की और पेश नहीं हो सका-उचित कारण-जमानत की अनुमति दी गई और उसे अपने हलफनामे के माध्यम से एक वचन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया कि वह सुनवाई की प्रत्येक तारीख को पेश होगा-यदि याचिकाकर्ता शर्तों का पालन नहीं करता है, तो वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया गया माना जाएगा। अभिनिर्धारित किया गया कि विचारण न्यायालय अपनी संतुष्टि के लिए मुचलका लगाकर उसे जमानत पर रिहा करेगा। उसे अपने शपथ पत्र के माध्यम से एक वचन पत्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जाता है कि वह निचली अदालत के समक्ष सुनवाई की प्रत्येक तारीख को पेश होगा, जब तक कि अदालत द्वारा विशेष रूप से छूट न दी जाए।

याचिकाकर्ता। तनुज शर्मा, एएजी, हरियाणा।

(1) वर्तमान याचिका धारा 482 Cr.P.C के तहत दायर की गई है, जिसमें दिनांकित 05.08.2022 (अनुलग्नक पी-4) के विवादित आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को दिनांकित 28.08.2018 (अनुलग्नक पी-2) के आदेश के माध्यम से दी गई जमानत को रद्द कर दिया गया है और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जींद की अदालत द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। राजेश और अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन, जींद सदर में शस्त्र अधिनियम की धारा 25,54 और 59 और आई. पी. सी. की धारा 148,149,307 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। (2) विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 16.04.2018, अनुलग्नक पी-1 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उनका निवेदन है कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से फंसाया गया था। हुनका सुनिल बनाम हरियाणा राज्यक नियमित जमानत देल गेल छल।

1773

(अमन चौधरी, जे.)

(5) पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों को सुना। (6) याचिकाकर्ता द्वारा निचली अदालत के समक्ष इस मामले में पेश नहीं होने के लिए दिया गया स्पष्टीकरण उचित प्रतीत होता है। इसके अलावा, गैर-जमानती वारंट जारी करने का उद्देश्य, अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और कानून का शासन स्थापित करना है ताकि कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा सके।

(7) मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य, सी. आर. एम. -

एम-36490-2022, कुछ हद तक समान 1774 में, 15.9.2022 पर तय किया गया

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

आदेश को दरकिनार करते समय परिस्थितियों का इस प्रकार अवलोकन किया गयाः निष्कर्षः -

यह न्यायालय याचिकाकर्ता की प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए; उसकी अनुपस्थिति के लिए दिया गया स्पष्टीकरण उचित होने के कारण; कार्यवाही में याचिकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करना; मुकदमे का अभियान और पक्षकारों के हित में इसकी प्रारंभिक परिणति; न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए; ऊपर उल्लिखित निर्णय तत्काल मामले में लागू होने के कारण, इस याचिका को अनुमति दे रहा है, हालांकि याचिकाकर्ता के हाथों सावधानीपूर्वक पालन के लिए कुछ शर्तों को लागू करना उचित समझता है। पूर्वगामी निष्कर्ष और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि नवीन राव (ऊपर) और डिंपल कुमार (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा भी अभिनिर्धारित किया गया था और न्याय के हित में, दिनांकित 19.7.2022, अनुलग्नक P5, को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है। ”

(9) इस आदेश के साथ भाग लेने से पहले, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त का पालन नहीं करता है, तो वर्तमान याचिका को इस न्यायालय के किसी भी संदर्भ के बिना खारिज कर दिया गया माना जाएगा। डॉ. पायल मेहता